राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

द्वितीय अपील संख्या RIC/SIKR/A/2024/005319

अपीलार्थिया	बनाम	प्रत्यर्थी
शारदा देवी, बी जी–06/327 बी, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली–110063		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर, जिला सीकर (राज.)

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 06.09.2024

1. अपीलार्थिया की ओर से श्री कुलदीप सिंह, प्रतिनिधि, उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री रामावतार, ASI, उपस्थित तथा कतिपय पत्र आदि प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थिया ने आवेदन दिनांक 10.01.2024 से दिनांक 17.12.2023 समय 12:00पीएम से दिनांक 18.12.2023 समय 3:00 पीएम तक आपके थाना परिसर में लगे सभी CCTV कैमरों की Original विडियो footage एक Pen drive या CD में प्रदान कराने आदि के संबंध में 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थिया ने अन्ततः द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत की।
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अपीलोत्तर दिनांक 25.04.2024, जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थिया को भी मौके पर प्रस्तुत की, द्वारा यह सूचित किया कि अपीलार्थिया को पत्र दिनांक 29.01.2024 व उक्त अपीलोत्तर द्वारा यह अवगत करवा दिया गया था कि चाही गई सूचना गोपनीय प्रकृति की होने के कारण व थाने में विभिन्न प्रकरणों के फुटेज भी शामिल होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ)(छ)(ज) के अंतर्गत अदेय होने के कारण वांछित फुटेज उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 11.03.2024 से यह अवगत करवाया कि प्रकरण में नतीजा न्यायालय में पेश किया जाना शेष है व प्रकरण की घटना से

संबंधित धारा 202 CRPC की जांच लम्बित होने से सूचना देय नहीं है व किया गया विनिश्चय उचित है।

6. अपीलार्थिया की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने लिखित में व सुनवाई के दौरान यह आक्षेप किया कि प्रत्यर्थी द्वारा किया विनिश्चय केन्द्रीय सूचना आयोग, दिल्ली की द्वितीय अपील संख्या CIC/SB/A/2016/000949 में निर्णय दिनांक 02.05.2017 को दिये निर्णय के परिपेक्ष्य में व माननीय राजस्थान सूचना आयोग के द्वितीय अपील संख्या 110176/2023 में दिये निर्णय दिनांक 18.09.2023 के अनुसार भी विधिसम्मत नहीं है। उपरोक्त द्वितीय अपील संख्या 110176/2023 के निर्णय में आयोग ने यह माना है कि थाने में ली जाने वाली CCTV की फुटेज गोपनीय प्रकृति की नहीं है। अतः CCTV फुटेज उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
7. अपीलार्थिया की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी, पुलिस थाना खाटूश्यामजी, खाटू, राजस्थान को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजे पत्र दिनांक 22.12.2023 को भेजे पत्र की प्रतिलिपि आयोग को प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 17.12.2023 को सुबह 11.30 AM से दिनांक 18.12.2023 दोपहर 3 बजे तक की थाने की फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की थी व इसके लिए जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान अपीलार्थिया द्वारा वहन किया जायेगा यह जानकारी भी थाना प्रभारी को दे दी गई थी। अपीलार्थिया ने थाने में उनके परिवार व बच्चों के साथ जो मारपीट व व्यवहार पुलिस थाने में किया था, उसकी पुष्टि के लिए अपीलार्थिया को फुटेज की कॉपी उपलब्ध करवाई जाये। अपीलार्थिया के प्रतिनिधि ने यह भी अवगत करवाया कि प्रकरण में न्यायालय के समक्ष चालान भी पेश कर दिया है।
8. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान यह अवगत करवाया कि अपीलार्थिया को विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है व अन्य कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
9. मैंने उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। अपीलार्थिया की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये केन्द्रीय सूचना आयोग, दिल्ली के निर्णय दिनांक 02.05.2017 व राजस्थान सूचना

आयोग द्वारा अपील संख्या 110176/2023 के निर्णय दिनांक 18.09.2023 के अनुसार व अपीलार्थिया द्वारा अपने आवेदन की मांग को देखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में चाही गई सूचना गोपनीय प्रकृति की नहीं है व अपीलार्थिया ने थानाधिकारी को रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 22.12.2023 से थाने में कैमरे की फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि अपीलार्थिया द्वारा चाही गई थाने के कैमरे की (CCTV) की फुटेज/समुचित विनिश्चय से आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में जरिए पंजीकृत डाक अपीलार्थिया को निःशुल्क अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. अस्तु, अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
सूचना आयुक्त

Sajan